न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 154/2016

1 लालचन्द पुत्र पालाराम
2 घीसाराम पुत्र हेमाराम
3 फुलचन्द पुत्र सुरजाराम
जाति जाट निवासी चौराड़ी हाल बास नानग तहसील व जिला झुन्झुनू।

अपीलांट

बनाम

1 सुभाषचन्द्र पुत्र कालु
2 रामप्यारी पुत्र सुभाष जाति जाट निवासी बास नानग तहसील व जिला झुन्झुनू।
3 महेन्द्र कटेवा पुत्र दानाराम
4 होशियारसिंह पुत्र दानाराम जाति जाट निवासी कैमरी की ढाणी खिरोड़ तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू।

रेस्पोडेंट

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनू बउनवांनी मुकदमा लालचन्द बनाम सुभाष दावा स्थाई निषेधाज्ञा मु.नं. 30/2014 बखिलाफ निर्णय व डिक्री दिनांक 04.04.2016

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

उपस्थिति :

1. श्री बनवारीलाल, अधिवक्ता अपीलांट रेस्पोडेंट
2. श्री रणजीत सिंह, अधिवक्ता रेस्पोडेंट अपीलांट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

—निर्णय—

दिनांकः— 6.8.24

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनू द्वारा मुकदमा नम्बर 30/2014 में पारित निर्णय दिनांक 04.04.2016 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादी अपीलांट ने स्थायी निषेधाज्ञा का वाद बाबत भूमि खसरा नम्बर 25, 740/26, 741/26, 37 वाके ग्राम बास नानग के संदर्भ में प्रस्तुत किया। विचारण न्यायालय ने प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 प्रस्तुत किया गया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से आवेदन स्वीकार कर वाद वादी खारिज कर दिया। इससे व्यथित होकर धारा 5 के साथ यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्तां अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय की किसी भी आदेशिका में अपीलान्ट (वादीगण) की गैर हाजरी या हाजरी दर्ज नहीं है व आदेश ना तो सुना व ना ही जवाब दावा व दरख्वास्त आदेश 07 नियम 11 की कोई नकल दी गई इस बाबत गौर ना कर विचारण न्यायालय ने अपीलान्ट का दावा खारिज करने में गलती कानूनी की है। विचारण न्यायालय की पत्रावली में आदेशिका दिनांक 08.03.2016 में विपक्षी सुभाष की उपस्थिति दर्ज कर एक दरख्वास्त आदेश 07 नियम 10 व धारा 10 व 151 की पेश करना दर्ज किया है व नकल साथ में पेश करना

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

दर्ज है परन्तु अपीलान्टस (वादीगण) की उपस्थिति बाबत कुछ भी दर्ज नहीं है व पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 30.03.2016 दर्ज है परन्तु विचारण न्यायालय ने इस तरफ गौर नहीं किया की वादी उपस्थित नहीं है व ना ही दरख्वास्त की नकल दी गई है तो कौन जवाब पेश करेगा इस तरफ गौर ना कर अपीलान्टस के खिलाफ निर्णय पारित करने में गलती कानूनी की है। विचारण न्यायालय की पत्रावली दिनांक 30.03.2016 को प्रतिवादी संख्या 1 सुभाष उप होना दर्ज है व वकीलों का कार्य बहिष्कार दर्ज है व पीठासीन अधिकारी भ्रमण पर होने से पत्रावली दिनांक 04.04.2016 दर्ज कर रखा है व दिनांक 04.04. 2016 की आर्डरशीट में वादीगण की अनुपस्थिति दर्ज है व प्रतिवादी संख्या 1 सुभाष की उप दर्ज है व निर्णय लिखाया जाकर शामिल पत्रावली दर्ज है परन्तु विचारण न्यायालय ने इस तरफ गौर नहीं किया कि अपीलान्ट (वादीगण) उप ही नहीं है तो वाद वादीगण अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज करना चाहिये था परन्तु विचारण न्यायालय ने इस तरफ गौर ना कर निर्णय व डिक्री पारित करने में गलती कानूनी की है। विचारण न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 04.04.2016 में अपीलान्टस का दावा आदेश 07 नियम 11 के तहत खारीज किया है परन्तु अपने आदेश में कही भी यह दर्ज नहीं किया कि आदेश 07 नियम 11 के किस प्रावधान का पालना ना होने से दावा खारिज किया जाता है इस तरफ विचारण न्यायालय ने गौर ना कर मनमाने रूप से अपीलान्टस के वाद को खारिज करने में गलती कानूनी की है। जानकारी से अन्दर मियाद अपील धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की है। अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि वादीगण/केतागण लालचन्द वगैरह का विक्रय पत्र दिनांक 25.05.2013 के अनुक्रम में विवादित भूमि खसरा नम्बर 741/26 के रकबा में से 1.35 हैक्टेयर पर कब्जा नहीं होने से इस न्यायालय को मुगालते में रखते हुए विवादित भूमि पर पुलिस इमदाद से दिनांक 26.07.2014 को अवैध रूप से कब्जा प्राप्त किया। चुकि कब्जा

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

प्राप्ति के समय वादग्रस्त भूमि पर प्रार्थीगण/अपीलान्टस का कब्जा काश्त नहीं था मात्र इनके पास एक नुमाईशी विक्रय पत्र था अपीलान्ट का उक्त तथाकथित विक्रय पत्र भारतीय सम्पति हस्तानान्तरण अधिनियम की धारा 52 के अनुसार गैर कानूनी था। विचाराधीन वाद पत्र में प्रतिवादी/रेस्पोडेन्टस सुभाष ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 व दफा 10 व 51 सीपीसी का पेश किया। इस न्यायालय ने सुनवाई कर प्रतिवादीगण/रेस्पोडेन्ट का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर वादीगण का वाद पत्र दिनांक 04.04.2016 को खारिज कर डिक्री पारित की गई जो विधि अनुसार सही एवं न्यायोचित थी। चूंकि अपीलान्टस के पास दिनांक 26.07.2014 तक कयशुदा वादग्रस्त भूमि पर कब्जा काश्त नहीं था। अपीलान्टस का विक्रय पत्र धारा 52 सम्पति अन्तरण अधिनियम के अनुसार गैर कानूनी है। बहिष्कार अधिवक्तागण ने कर रखा था, पक्षकारान का बहिष्कार नहीं था। यदि अदालत हाजा के समक्ष कोई पक्षकार स्वयं अपनी पैरवी करेगा तो पीठासीन अधिकारी उपस्थित होने वाले पक्षकार की सुनवाई किये जाने का प्रावधान है। इसी अनुक्रम में दिनांक 08.03.2016 को रेस्पोडेन्ट संख्या 1 स्वयं अदालत हाजा के समक्ष उपस्थित होकर एक प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 व दफा 10 व 151 जाप्ता दीवानी नियमानुसार पेश किया। कार्य बहिष्कार के दौरान पक्षकारान स्वयं अपने मुकदमें में हाजिर होने का दायित्व है कि अदालत में विचाराधीन प्रकरण में उपस्थिति होवें। किन्तु विचाराधीन प्रकरण में अपीलान्टस अपने विचाराधीन वाद पत्र के प्रति गम्भीर नहीं रहे है बल्कि लांपरवाही की गई है जिसके परिणामस्वरूप नियत तारीख पेशीयों पर उपस्थित नहीं होने से अदालत हाजा ने अपना निर्णय दिनांक 04.04.2016 को विधि सम्मत एवं न्यायोचित पारित किया है। अपील मियाद बाहर है। अपील खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। न्यायहित को दृष्टिगत रखते हुए अपीलांट द्वारा प्रस्तुत

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

आवेदन धारा 5 स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को कंडोन किया जाता है।

जहां तक प्रकरण के गुणावगुण का प्रश्न है विचारण न्यायालय में वाद अपीलांट का था। विचारण न्यायालय ने आदेशिका पर अपीलांट की अनुपस्थिति अंकित कर प्रतिवादी संख्या 1 को उपस्थित बताकर आदेश 07 नियम 11 का आवेदन लेकर प्रतिवादी संख्या 1 को सुनकर विचाराधीन निर्णय से आवेदन 07 नियम 11 स्वीकार कर वादी अपीलांट का वाद खारिज किया है। विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय रेवेन्यू कोर्ट मेन्यूअल एवं नैसर्गिक न्याय के विपरित होने से विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है। विधि अनुसार वादी एवं उसके अधिवक्ता अनुपस्थित रहने पर वाद वादी अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज किया जा सकता है। वादी एवं उसके अधिवक्ता की अनुपस्थिति में प्रतिवादी से आदेश 07 नियम 11 का आवेदन प्राप्त कर प्रतिवादी को सुनकर प्रकरण का गुणावगुण पर निस्तारण नहीं किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण उभयपक्ष को साक्ष्य सुनवाई का अवसर प्रदान कर बाद सुनवाई गुणावगुण पर निर्णय हेतु विचारण न्यायालय को प्रति प्रेषित किया जाता है। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 30.08.2024 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 6.8.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेवाराम धोजक)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर